निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 2 / 2025
दायरा दिनांकः–07.01.2025
निर्णय दिनांकः– 19.03.2025

उनवान

1. बाबूलाल आयु 71 वर्ष पुत्र घांसीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 19.03.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अरविन्द प्रताप सिंह– प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम नबावगंज पटवार हल्का कडेयानोहर तहसील छबडा जिला बारा (राज०) में भूमी खसरा नम्बर 20/1 रकबा 10876 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36/1 रकबा 0. 2529 हैक्टेयर कुल 2 किता आराजीयात मवाजी 1.3405 हैक्टेयर अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है, जो दर्ज जमाबन्दी में चला आ रहा है, जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो कि के शामलाती खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है। प्रार्थी के पिता घासीलाल का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थी का नाम इतकाल में बाबूलाल के स्थान पर घर में बोलता नाम बापू दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबूलाल है जिसे दुरस्तीकरण किया जाकर बापू के स्थान पर बाबूलाल किया जाना आवश्यक है जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। उक्त वर्णित भूमी के राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थी का नाम बाबूलाल के स्थान पर बापू दर्ज कर दिया गया है। जबकि भारत निवार्चन आयोग पहचान पत्र, एवं आधार कार्ड, तथा जन आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम बाबूलाल ही दर्ज है। उक्त वर्णित भूमी की खातेदारी में प्रार्थी का नाम बाबूलाल के बजाय बापू दर्ज हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा कृर्षी से सम्बधित प्रारम्भ की जा रहीं है. लाभकारी योजनाओं से प्रार्थी को वाछित होना पड रहा है, जिसके

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कारण प्रार्थी को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति हो रहीं है अतः प्रार्थी उक्त वर्णित भूमी की खातेदारी में दर्ज बापू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करवाकर खाते में इन्द्राज दुरूस्त करवाने की वैधानिक एवं कानूनी तोर पर अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलदार छबडा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियो से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूति में खातेदारी में दर्ज बापू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज कर खाते में इन्द्राज दूरस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थी की कोई सुनवायी नहीं की, अंत में दिनांक 03.01.2025 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी तहसीलदार छबड़ा द्वारा इन्द्राज दूरस्त करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय एस.डी.ओ. साहब छबड़ा में पेश करने की हिदायत दी अतः यही दिनांक 03.01.2025 में बिनाय मुकासमत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। राज्य सरकार की भूमी धारक होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में व आवश्यक पक्षकार होने के सबब से राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जयें तहसीलदार छबडा को प्रोफार्मा अप्रार्थी बनाया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 40 नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 41 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 228 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 226 फोटो प्रति आधार कार्ड बाबूलाल, मतदाता फोटो पहचान पत्र बाबूलाल जन आधार कार्ड शान्ति बाई बाबूलाल फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नवाबगंज तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है विवादित आराजी शामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है प्रार्थी के पिता घांसीलाल का फोती नामान्तरण खोलतें समय इन्तकाल में बाबूलाल के स्थान पर बोलता नाम बापू दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबूलाल है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल ही दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बाबूलाल के स्थान पर बापू दर्ज हो जाने के कारण राज्य सकरार से मिलने वाले लाभकारी योजनाओं से प्रार्थी को वंचित होना पड रहा है जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी में बापू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 40 में बापू पुत्र घांसी हिस्सा 1/2 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम नवाबगंज सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 41 में बाबूलाल पुत्र घांसी हिस्सा 1/4 दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 228 में बाबूलाल पुत्र घांसी हिस्सा 1/4 एवं नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 226 में बाबूलाल पुत्र घांसी हिस्सा 1/16 दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि खाता संख्या 40 में प्रार्थी का नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बापू पुत्र घांसी कर दिया गया है जबकि अन्य जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल पुत्र घांसीलाल सही नाम दर्ज है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो में भी सही नाम बाबूलाल पुत्र घांसी दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम नवाबगंज की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 (2079 से स्थाई) खाता संख्या 40 में प्रार्थी का नाम बापू पुत्र घांसी दर्ज है ग्राम वासियों व सहखातेदारों से जानकारी करने पर बताया कि बापू का सही नाम बाबूलाल है। तथा बापू व बाबूलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में बाबूलाल नाम ही दर्ज है बापू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करने की अनुषंशा की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्जावेजों एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में बापू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम नवाबगंज तहसील छबडा के खसरा नम्बर 20/1 रकबा 1.0876 है0 खसरा नम्बर 36/1 रकबा 0.2529 है0 में दर्ज प्रार्थी का नाम बापू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा